



## राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

कार्यालय मुख्य प्रबन्धक भीलवाडा आगार, नेहरु रोड-भीलवाडा-311001 (राज.)

Email : [rsrtc.cmbhl@gmail.com](mailto:rsrtc.cmbhl@gmail.com) & [cmbhl.rsrtc@rajasthan.gov.in](mailto:cmbhl.rsrtc@rajasthan.gov.in) Phone No : 01482.297290


क्रमांक / मु0प्र0 / भील / लेखा. / 2026 / 2345

दिनांक:-13.01.2026


### निविदा - सूचना

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम भीलवाडा आगार में निगम वाहनों में झाडु लगाकर सफाई का कार्य करने हेतु निविदा आमंत्रित की जानी है। निविदा प्रपत्र एवं शर्तें निर्धारित राशि रुपये 200/- एवं जीएसटी अतिरिक्त पर नकद जमा करवाकर निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय समय में प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति/संस्था अपने प्रस्ताव 03.02.2026 को 15:00 बजे तक जमा करा सकते हैं। निविदा प्रस्ताव उसी दिन 15:30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोलें जावेंगे। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण निगम वेबसाइट <http://transport.rajasthan.gov.in/rsrtc> एवं SPPP पोर्टल <https://sppp.rajasthan.gov.in> पर देखी जा सकती है।

निविदा स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित है।

  
मुख्य प्रबन्धक  
भीलवाडा आगार



  
मुख्य प्रबन्धक

रा.स.न.प.नि. भीलवाड़ा

सेवामें

श्रीमान् मुख्य प्रबन्धक महोदय,  
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम  
भीलवाड़ा आगार

विषय-निगम वाहनों की सफाई हेतु निविदा।

महोदय जी,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत श्रीमान् से निवेदन है कि श्रीमान् द्वारा आमंत्रित की गई निविदा के तहत प्रार्थी उक्त कार्य करने के इच्छुक है, निम्नानुसार निविदा प्रेषित है-

1- व्यक्ति / फर्म / संस्था का नाम .....

2- व्यक्ति / फर्म / संस्था के पत्र व्यवहार का पता .....

3- फर्म / संस्था द्वारा अनुबन्ध किये जाने वाले व्यक्ति का नाम पद - .....

4- दुरभाष / मोबाईल न. .... प्रतिवाहन दर .....

5- कार्य आवंटन की दिनांक से 1 वर्ष तक

अन्य आवश्यक विवरण: निम्न सम्बन्धित दस्तावेज निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करने होंगे बिना दस्तावेज/विवरण के निविदा फार्म स्वीकार्य नहीं होगा।

- आधार कार्ड प्रति
- पेन कार्ड प्रति
- बैंक पास बुक प्रति
- पार्सपोर्ट साईज फोटो
- अर्नेस्ट राशि निविदा फार्म के साथ- राशि 5000रु का विवरण

अपूर्ण निविदा फार्म किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जावेगा उक्त स्थिति में फार्म निरस्त करने का अधिकार निगम को होगा।

संलग्न-अनुबन्धशर्त

हस्ताक्षर निविदादाता  
मय पद/हैसियत/मोहर सहित



# राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, भीलवाड़ा आगार

निविदा-शर्तें

निविदा शुल्क

निविदा दिनांक

निविदा प्राप्ति समय


निविदा खोलने का समय

- 236/-रु अक्षरे दो सौ छत्तीस रूपए मात्र (मय जीएसटी)

- 03.02.2026

- 15:00 बजे।

- 15.30 बजे।

  
मुख्य प्रबन्धक  
रा.रा.प.प.नि. भीलवाड़ा

## अनुबन्ध-पत्र प्रारूप

यह अनुबन्ध आज दिनांक .....को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम भीलवाड़ा आगार, जिसे बाद में प्रथम पक्ष कहा जायेगा और श्री.....,पता..... जिसे बाद में द्वितीय पक्ष कहा जायेगा के मध्य किया गया निम्नलिखित शर्तों के अनुसार अनुबन्ध पत्र निष्पादित करता हूँ कि :-

1. कार्यशाला से प्रस्थान करने वाली वाहनों, यदि बिना धुलाई हुए निकलती है, तो मुख्य सुरक्षा प्रहरी की रिपोर्ट के आधार पर प्रति वाहन 10/-रु शास्ती राशि दण्ड का प्रावधान होगा।
2. निविदादाता (द्वितीय पक्ष) आवश्यक सफाई सामग्री झाड़ू अपने स्तर पर उपलब्ध करवाने होंगे।
3. सभी प्रकार के करों का भुगतान एवं श्रम कानूनों की पालना करने का दायित्व निविदादाता (द्वितीयपक्ष)का होगा।
4. सफाई कार्य के दौरान किसी भी व्यक्ति के चोट/दुर्घटनाग्रस्त होने की जिम्मेदारी निविदादाता (द्वितीय पक्ष) की होगी। निगम द्वारा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
5. सफाई के दौरान किसी भी प्रकार की क्षति होने पर अनुबन्धकर्ता स्वयं उत्तरदायी होगा।
6. निविदादाता को अर्नेस्ट मनी के रूप में निविदा पत्र के साथ (मुख्य प्रबन्धक आरएसआटीसी भीलवाड़ा डीपो) के नाम राशि 50000 /- रुपये (अक्षरे पाँच हजार रुपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/नकद जमाओं की रसीद संलग्न करनी होगी। कार्य आवंटित होने पर सफल निविदादाता को सुरक्षा राशि 10000/-रुपये (अक्षरे दस हजार रुपये मात्र) की डी.डी./बैंकर्स चेक/बैंक गारंटी निगम कोष में जमा करानी होगी। उक्त सुरक्षा राशि बिना ब्याज के अनुबन्ध अवधि समाप्ति तक निगम कोष में जमा रहेगी। सफल निविदादाता द्वारा अनुबन्ध जारी होने पर प्रभावी दिनांक से ही सफाई कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर धरोहर राशि एवं सुरक्षा राशि जब्त कर अनुबंध रद्द कर दिया जावेगा।
7. कार्य का आवंटन होने पर सफल निविदादाता को पाँच सौ रूपए के भारतीय गैर न्यायाधिक स्टाम्प पर निर्धारित शर्तों के अनुरूप लिखित में अनुबन्ध करना होगा।
8. अनुबन्धकर्ता यदि समय पूर्व अनुबन्ध समाप्त करना चाहे तो एक माह पूर्व निगम को लिखित में नोटिस देना होगा। बगैर नोटिस के अनुबन्ध तोड़ने पर जमा राशि जब्त कर ली जावेगी।
9. सफल निविदादाता द्वारा लगाये गये सभी कर्मचारी निगम कर्मचारियों एवं यात्रियों से शालीनतापूर्वक व्यवहार करें।
10. अनुबन्धकर्ता अथवा उनके द्वारा कार्यरत कोई भी कर्मचारी नशे की हालत में निगम के परिसर में नहीं आवेगा।
11. सफाई कार्य प्रथमतः 01 वर्ष के लिये दिया जावेगा एवं आवश्यकता प्रतीत होने पर ही आगारीय समिति की अनुशंसा/मुख्य प्रबन्धक के निर्देशानुसार ही अनुबन्ध अवधि में वृद्धि की जा सकेगी।
12. निविदा-प्रस्ताव सीलबन्ध लिफाफे में प्रेषित किये जावेंगे।
13. कोई भी विवाद होने की स्थिति में आगारीय कमेटी का निर्णय सर्वमान्य होगा।
14. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित होगा।
15. कार्यशाला में एकत्र कचरों को सीबीएस परिसर के डम्पिंग यार्ड में डलवाने का उत्तरदायित्व अनुबन्धकर्मी/फर्म का ही होगा।

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष

निविदादाता

मय पद/हैसियत/मोहर सहित